

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का एक
अध्ययन

(A Study of Public Expenditure on Education in Uttar Pradesh)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से शिक्षाशास्त्र विषय में
पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
शोध सारांश



शोधार्थी

विनोद कुमार यादव

नामांकन संख्या: 1266/18

सह शोध निर्देशक
प्रो० हरिशंकर सिंह

शोध निर्देशक
डॉ० राज शरण शाही

शिक्षाशास्त्र विभाग
शिक्षाशास्त्र विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (NAAC A++ Accredited)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025
उत्तर प्रदेश, (भारत)

2023

शोध—सारांश

प्रस्तावना

मानव जाति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें तो संभवतः मनुष्य के पास ज्ञान—संग्रह करने और संग्रहित ज्ञान का प्रसारण करने की क्षमताएँ होती हैं, जो बातचीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बड़े-बड़े व्याख्यानों के माध्यम से मनुष्य करता रहता है। इस तरह मनुष्य ने यह जान लिया है कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण, कौशल एवं शिक्षा की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति में श्रम-कौशल, अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा, अधिक आय का सृजन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान अधिक होता है। शिक्षा सिर्फ उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों को चयन कर पाने के योग्य बनाती है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान कराती है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को तेज करती है। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तन कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को भी अभियंता, डॉक्टर एवं शिक्षक जैसी मानव पूंजी में परिवर्तन कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की आवश्यकता होती है।

स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की वित्त व्यवस्था

वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हमारे देश में क्रमशः बौद्ध, मुस्लिम और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। वैदिक काल में शिक्षा गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी और बौद्ध काल में बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। परंतु मध्यकाल में मुसलमान शासकों ने मकतब और मदरसों को आर्थिक सहायता देने के साथ उनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया इसे हम शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण की शुरुआत कह सकते हैं। वर्तमान की नींव अतीत में होती है। भारत में, वैदिक काल में जिस

शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ वह जीवन केंद्रित थी। इसलिए इस शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक जीवन अथवा विद्यालय के बाद जीवन की तैयारी के रूप में ही ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को शिक्षा का लाभ मिलता था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेई, गर्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे गणित, खगोल विज्ञान, विज्ञान, धातु चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रमाणित रूप से मौलिक योगदान किए।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा की वित्त व्यवस्था

स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास में, उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इसमें सुधार हेतु 1948 में डॉ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने उच्च शिक्षा की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की पूरी जिम्मेदारी सरकारी निवेश पर डालते हुए कहा कि उच्च शिक्षा निःसंदेह सरकार का दायित्व है, पर सरकारी सहायता को शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सरकारी नियंत्रण नहीं माना जाना चाहिए। शिक्षा आयोग 1964-66 ने भी उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का भार सरकार पर डाला और कहा कि यदि शिक्षा का विकास और राष्ट्र की प्रगति की जानी है तो उच्च शिक्षा पर अधिक धन व्यय करना होगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) : उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत शिक्षा सम्बन्धी प्रथम आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) का गठन सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने राज्य द्वारा उच्च शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अपने

उत्तरदायित्व वहन करने की सिफारिश की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा के विस्तार व विकास को उपयुक्त दिशा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) की स्थापना का भी सुझाव दिया जिसे वर्ष 1956 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम बना कर मूर्त रूप प्रदान किया। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखना एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना था।

खेर समिति (1951): केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक बैठक करके भारत के भविष्य के लिए एक शैक्षिक नीति तय की। इसलिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1949 में भारत के भविष्य के लिए एक, बी०जी० खेर की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति ने सुझाव दिया कि राज्यों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षा पर लगभग 70% व्यय स्थानीय निकायों और प्रांतों से आना चाहिए। शेष 30% राशि की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार को करना चाहिए।

कोठारी आयोग (1964–66): जुलाई 1964 को डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग का गठन किया गया। आयोग का उद्देश्य देश में शैक्षिक परिदृश्य के सभी पहलुओं का विश्लेषण करना था। जून 1966 को आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसकी सिफारिश के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में तैयार होती है। पहली सिफारिश 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी। आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देते हुए त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया—(1) हिंदी (2) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा (3) अंतरराष्ट्रीय भाषा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) : शिक्षा पर दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा मई 1986 में अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया था कि शिक्षा में निवेश राष्ट्रीय आय का 6% होना चाहिए संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) में भी इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए फंड आवश्यक है इसलिए शिक्षा पर व्यय जी०डी०पी० का 6% से अधिक होना चाहिए।

पुनैया समीति (1992) : केन्द्र सरकार के निर्देश पर यू० जी०सी० ने 1992 में न्यायमूर्ति के० पुनैया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समीति ने विश्वविद्यालयों को अपने वित्तीय संसाधन एकत्र करने का सुझाव दिया तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की संस्तुति की।

साकिया समिति (1997) ने सिफारिश किया कि सरकार को 14 वर्ष की आयु तक दी जाने वाली निःशुल्क और अनिवार्य हो, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। शिक्षण शुल्क से छूट, विद्यालय जाने वाले समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना, स्कूल यूनिफार्म का प्रावधान और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति इत्यादि सम्मिलित है। समिति ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को जारी रखने के बारे में भी सुझाव दिया। समिति ने यह भी सिफारिश की कि, शैक्षिक व्यय कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6% होना चाहिए (तिलक, 1998)।

मजूमदार समिति (1998) की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वित्तीय आवश्यकता को देखने के लिए की गई थी। समिति ने सुझाव दिया कि देश में समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। समिति ने निःशुल्क शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की जांच की और दस वर्ष (1997 से 2007 तक) के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपए व्यय करने की सिफारिश की।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अनुसार "राज्य, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं"। 1 अप्रैल 2010 को भारत सरकार ने उपरोक्त घोषणा को स्वीकार किया। इस तिथि को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान की धारा 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को 2002 (86वाँ संशोधन) में मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके बाद, देश में शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए कई बार (2004, 2005 और 2008) मसौदा तैयार किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) सन 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के बाद भारत सरकार के द्वारा सन 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी एवं इस शिक्षा नीति में सकल घरेलु उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की अनुशंसा की गयी थी। सन 1986 में पुनः भारत सरकार के द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और इसमें भी सकल घरेलु उत्पाद का शिक्षा पर 6 प्रतिशत व्यय करने की अनुशंसा की गयी थी परन्तु शिक्षा पर व्यय कभी भी सकल घरेलु उत्पाद का 6 प्रतिशत तक नहीं पहुँच पाया। 21वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में अभी तक इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण किया जाता रहा है। अब 34 वर्षों के दीर्घावधि के बाद 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन करके राष्ट्र को एक शिक्षा नीति प्रदान किया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

आमतौर पर बजट आय और व्यय का विस्तृत विवरण होता है। बजट तैयार करने का कार्य वित्त मंत्रालय का होता है। साथ ही इसमें देश के विभिन्न विभागों का भी योगदान होता है। बजट राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं गतिविधियों को रूप के रूप में व्यक्त करता है। बजट मूलतः कार्यक्रमों के कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु ब्लूप्रिंट है। बजट भारत के संविधान में यथानिर्दिष्ट राज्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप राज्य के क्रियाकलापों को संचालित एवं नियंत्रित करने की दिशा में एक प्रभावी उपकरण है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट के माध्यम से, राज्य की प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों हेतु धनराशियां मदवार आवंटित करने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्धियों के स्व मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया है। विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के द्वारा लोक धन की प्राप्ति एवं व्यय के संबंध में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोक स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यह बजट संवैधानिक आवश्यकता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा और अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) संसद या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

शैक्षिक वित्त

शैक्षिक वित्त का तात्पर्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उस धन से है जिसमें शिक्षा क्षेत्र में होने वाले आय-व्यय का भाव निहित होता है। किसी शिक्षण संस्थान को प्राप्त आय के विभिन्न स्रोतों तथा व्यय की जाने वाली मदों का पूर्व निर्धारण इसमें सम्मिलित है। आने वाले प्रत्येक वर्ष (जैसे कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए इस प्रकार आय-व्यय का संपूर्ण विवरण जिसे 'आय व्यय विवरण' या 'बजट' कहते हैं को तैयार कर उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बजट में मुख्य रूप से वित्तीय व्यवस्था का प्रतिवेदन, वित्तीय स्थिति का अनुमान और वित्तीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव निहित है। बजट के द्वारा ही किसी शैक्षिक संस्थान की संभावित आय तथा व्यय के विषय में अनुमान लगाया जाता है। संस्थागत प्रबंधन प्रक्रिया में बजट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त भौतिक व मानवीय तत्वों की उपलब्धता, व्यवस्था, नियोजन, संगठन और निर्देशन आदि समस्त कार्य बजट पर निर्भर करते हैं। बजट नियोजन प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। डिविशनरी के अनुसार बजट एक ऐसा वित्तीय विवरण है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा रहता है। बजट के अंतर्गत अनुमानित आय के समस्त स्रोतों तथा व्यय की संभावित मदों का पूर्वानुमान लगाकर गणना के पश्चात् इनमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।

शैक्षिक आय के स्रोत

किसी शिक्षण संस्थान के लिए किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के आय के विभिन्न स्रोत से जो धन या वित्त प्राप्त किया जाता है उसे शैक्षिक आय कहा जाता है। शैक्षिक आय विभिन्न साधनों या स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

- सार्वजनिक स्रोत
- निजी स्रोत

अध्ययन का औचित्य

भारत की आजादी के बाद सबसे पहले 4 नवंबर 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना और

1964-66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) की स्थापना की गयी । शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा दिए गये सुझाव के आधार पर 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी और तभी कहा गया कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् 1986 में दूसरी शिक्षा नीति स्वर्गीय राजीव गांधी के समय आयी और इस शिक्षा नीति में भी कहा गया कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा, और इसी तरह 34 वर्ष बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (29 जुलाई 2020) भी आ गयी और इसने भी शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने की सिफारिस की । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए केंद्र एवं राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी का 6 प्रतिशत तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस दृष्टि से अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है कि 1966 में कोठारी आयोग ने सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय करने की अनुशंसा की थी। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 ने भी इसको दुहराया। कोठारी आयोग द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य किसी भी तरह से अति उत्साह में निर्धारित किया गया कोई उच्चाकांची लक्ष्य नहीं था। कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया 6% का लक्ष्य आगामी 20 वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता, जापान, अमेरिका, रूस तथा उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शिक्षा पर व्यय तथा भविष्य के आर्थिक विकास के रुझानों तथा समग्र विकास के सामान्य सिद्धांत पर आधारित था। इसे लागू करने के लिए आयोग ने सरकार को 20 वर्ष की अवधि का निर्धारण किया था अर्थात् 1986 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाना था लेकिन अभी भी इस लक्ष्य से काफी दूर है। अब तक के प्रयासों के बाद शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 4% के बीच रहा है। आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो उसमें शिक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा में होने वाले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर शिक्षा के मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रसार की प्रक्रिया को तीव्रतर बना सकते हैं। भारत के पास इस समय विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का विकास कर भारत एक बार पुनः विश्व पटल पर

अपनी प्रभावी भूमिका का निर्धारण कर सकता है। शिक्षा के निजीकरण के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों पर आश्रित है। सबको गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा को सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाया जाए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राष्ट्रीय विकास का कार्य बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के विकास से प्रशस्त होता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पहुंच सभी तक बढ़ाने तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु सरकारी व्यय में शिक्षा की भागीदारी बढ़ाकर किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद के 6% व्यय के लक्ष्य की प्राप्ति भी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति पर निर्भर हैं। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

प्रस्तावित शोध उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति के विश्लेषण पर आधारित है जो व्यय की प्रवृत्ति के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा। शिक्षा समग्र विकास के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का भी है इसलिए राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के लिए पर्याप्त धन एकत्र करने का प्रयास होना चाहिए। यह अध्ययन भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का एक आधार प्रदान करेगा। अतः शोधकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक किये गये शैक्षिक व्यय का विश्लेषण करते हुए व्यय की प्रवृत्ति तथा भावी दिशा के सन्दर्भ में सरकार को सुझाव दे सकता है।

शोध में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

सार्वजनिक व्यय—सत्ताधारी या लोक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। लोक अधिकारियों के अंतर्गत केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार को सम्मिलित किया जाता है।

समस्या कथन

शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन दो स्रोतों अर्थात् सार्वजनिक स्रोत और निजी स्रोत से आते हैं। सार्वजनिक स्रोत में केंद्र एवं विभिन्न राज्यों के सरकारों का योगदान सम्मिलित होता है। निजी स्रोतों में छात्रों की फीस, ट्यूशन फीस, स्वैच्छिक दान

और बंदोबस्ती के रूप में परिवारों से योगदान सम्मिलित है। यह अध्ययन केवल शिक्षा पर होने वाले सार्वजनिक व्यय अर्थात् सरकारी स्रोतों के द्वारा शिक्षा के वित्तपोषण से सम्बन्धित है।

शोध प्रश्न

वर्ष 2010–11 से वर्ष 2020–21 तक 11 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का विश्लेषण निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित है—

1. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल बजट का शिक्षा पर कितना व्यय किया गया?
2. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल शैक्षिक बजट का प्राथमिक शिक्षा पर कितना व्यय किया गया?
3. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न मदों पर कितना व्यय किया गया?
4. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल शैक्षिक बजट का माध्यमिक शिक्षा पर कितना व्यय किया गया?
5. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न मदों पर कितना व्यय किया गया?
6. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल शैक्षिक बजट का उच्च शिक्षा पर कितना व्यय किया गया?
7. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक उच्च शिक्षा के विभिन्न मदों पर कितना व्यय किया गया?
8. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा पर किए गए व्यय में कितना अंतर है?

शोध उद्देश्य

1. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल बजट में से शिक्षा पर हुए व्यय का अध्ययन करना।
2. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल शैक्षिक बजट में से प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का अध्ययन करना।

3. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न मदों पर व्यय का अध्ययन करना।
4. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल शैक्षिक बजट में से माध्यमिक शिक्षा पर हुए व्यय का अध्ययन करना।
5. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न मदों पर व्यय का अध्ययन करना।
6. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक कुल शैक्षिक बजट में से उच्च शिक्षा पर हुए व्यय का अध्ययन करना।
7. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक उच्च शिक्षा के विभिन्न मदों पर व्यय का अध्ययन करना।
8. वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर हुए व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन

1. यह अध्ययन उत्तर प्रदेश तक सीमित है।
2. यह अध्ययन 2010–11 से 2020–21 तक की अवधि तक सीमित है।
3. अध्ययन में केवल सामान्य शिक्षा पर किये गये व्यय को सम्मिलित किया गया है।
4. उच्च शिक्षा के व्यय में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया गया है।
5. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रमुख मदों पर व्यय को सम्मिलित किया गया है। प्रमुख मदों में सिर्फ उन्ही मदों को सम्मिलित किया गया है जिस पर सतत व्यय हुआ है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010–11 से लेकर वर्ष 2020–21 के बीच शिक्षा पर हुए सार्वजनिक व्यय का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का प्रतिशत घटा है। इस दौरान कुल बजट का शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत दो बार, वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2017–18 में अधिक रहा और इन दोनों वर्षों में नई

सरकार का गठन हुआ था। परन्तु इसके बाद के वर्षों से शैक्षिक व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी देखने को मिलती है। इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों सरकारों ने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा से संबंधित चुनावी वादों को पूरा करने के लिए शैक्षिक बजट को बढ़ाया परंतु बाद के वर्षों में पूर्व की भाँति शैक्षिक व्यय की स्थिति दिखाई देती है। इन वर्षों में बजट का गहनता से विश्लेषण करने पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि—

एक तरफ उत्तर प्रदेश के बजट में शिक्षा पर व्यय की मात्रा में तो उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जब हम कुल बजट के सापेक्ष शिक्षा पर हुए व्यय को प्रतिशत के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं तो इसकी प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर कमी दृष्टिगोचर होती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा पर व्यय में तो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है लेकिन बजट की वृद्धि की तुलना में शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की बजाय कमी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अंसारी एवं अन्य (2018) ने अपने शोध पत्र 'ऐन एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया' में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के स्तर, प्रवृत्तियों, विकास और अंतर क्षेत्रीय आवंटन का अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने 2001-02 से 2014-15 तक की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग-अलग स्तरों पर शिक्षा पर व्यय का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में भी शोधकर्ता ने यह निष्कर्ष के रूप में यह बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा पर राज्य सरकार के व्यय में कमी आई है। फैन एवं अन्य (2000) ने अपने शोध पत्र में यह बताया है कि भारत सरकार को ग्रामीण सड़कों, कृषि शोध आदि के अलावा शिक्षा में अतिरिक्त निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आरिफ (2016) ने अपने शोध पत्र में 2000-01 से 2013-14 तक की अवधि में अध्ययन करके यह बताने का प्रयास किया है कि वर्ष 2001 के पश्चात शैक्षिक व्यय के मात्रा में वृद्धि हुई है परंतु अभी भी इस पर व्यय की वास्तविक राशि आवश्यक राशि से कम है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति शिक्षा के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण तो प्रदर्शित करता है लेकिन पूर्व में हुए अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बजट में वृद्धि की तुलना में शिक्षा पर व्यय में वृद्धि अपेक्षित ही नहीं बल्कि आवश्यक प्रतीत होती है और आने

वाले वर्षों में सरकार शैक्षिक बजट के इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है तभी उत्तर प्रदेश अपनी शिक्षा संबंधी व्यय की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेगा।

● इसी प्रकार **उद्देश्य क्रमांक दो** जो कि कुल शैक्षिक बजट में से प्राथमिक शिक्षा पर किए गए व्यय के विश्लेषण से संबंधित है, के संदर्भ में एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष के रूप में निम्नांकित तथ्य विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं— वर्ष 2013-14 को छोड़कर वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है अर्थात् वर्ष 2013-14 को अपवाद के रूप में मानते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर प्रतिवर्ष बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा के बजट पर व्यय में वृद्धि को कुल बजटीय परिप्रेक्ष्य में जब देखने का प्रयास करते हैं तो परिणाम इससे भिन्न दिखाई देता है। वर्ष 2013-14 को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक प्राथमिक शिक्षा पर प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वर्ष 2017-18 के बाद से प्राथमिक शिक्षा पर प्रतिशत के वृद्धि में उत्तरोत्तर कमी होती दिखाई दे रही है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में तो प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक व्यय का प्रतिशत 80 से ऊपर चला गया था अर्थात् कुल शैक्षिक व्यय का 80 प्रतिशत व्यय केवल प्राथमिक शिक्षा पर हुआ है जो प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शिक्षा के बजट का न्यूनतम व्यय वर्ष 2010-11 में तथा अधिकतम व्यय वर्ष 2017-18 में हुआ। वर्ष 2010-11 में 63.53 प्रतिशत इसमें व्यय किया गया। वर्ष 2020-21 में अर्थात् 10 वर्ष पश्चात व्यय का प्रतिशत 76.79 हुआ। समाज की अधिकतम लोगों तथा विशेष कर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति में गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की भूमिका को देखते हुए सरकार को अपने बजट का 70% से अधिक व्यय नहीं कर सकती तो उतना तो अवश्य करना चाहिए, तभी शिक्षा राष्ट्रीय विकास में पिछड़ी समूह की भूमिका को बढ़ाते हुए सामाजिक विषमता को दूर करने का भी सशक्त माध्यम बन सकेंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित स्कूल स्तर पर शत प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु अधिकाधिक व्यय अपेक्षित भी है इस व्यय के पीछे बड़ा कारण सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना, आपरेशन कायाकल्प इत्यादि कई योजनाएं भी हैं जिसके संचालन के कारण प्राथमिक शिक्षा पर भारी व्यय अपेक्षित ही नहीं बल्कि वंछनीय भी है। उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को उत्पादकता के साथ जोड़ने हेतु प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में वृद्धि युग की आवश्यकता है। जिसके लिए यह धनराशि स्वागतयोग्य तो है परंतु अभी भी आवश्यकता की दृष्टि से यह कम ही है। शाह (1969) ने अपने शोध पत्र एक्सपेंडिचर ऐन एलिमेंट्री एजुकेशन में वर्ष 1950-51 से 1960-61 के बीच व्यय का अध्ययन किया है उन्होंने अपने अध्ययन में पाया है कि वर्ष 1950-51 में प्रारंभिक शिक्षा पर जो व्यय 441.8 मिलियन हो रहा था, उसको 1960-61 में बढ़ाकर 1163.7 मिलियन कर दिया गया। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया कि 1960-61 से 1965-66 के बीच प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय 61% होना चाहिए यानी 1960-61 में प्रारंभिक शिक्षा पर जो व्यय 1163.7 मिलियन किया जा रहा था, उसको 1965 में 1874 मिलियन होना चाहिए था। अर्थात् पूर्व के वर्षों में जिस अनुपात में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति थी आज इसमें कमी आई है। एक तरफ जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षा की मांग बढ़ रही है वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शिक्षा के गुणवत्ता में वृद्धि का लगातार दबाव बढ़ रहा है। इन दोनों स्थितियों में समाधान का मार्ग शिक्षा के मात्रात्मक प्रसार तथा गुणात्मक वृद्धि से होकर जाता दिखाई दे रहा है। कोठारी आयोग (1964-66) की प्रारंभिक पंक्ति "भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।" से भी इस बात की पुष्टि होती है। अतः उत्तर प्रदेश के बजट को इस दृष्टि से भी समृद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी स्कूलों को उनके यहाँ आठवी तक हर कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों का निःशुल्क प्रवेश देना है। गरीब बच्चों की शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। आरटीई के तहत प्रदेश के 42 हजार विद्यालयों में लगभग साढ़े चार लाख सीटें आवंटित हैं, लेकिन निजी स्कूलों के संचालकों और प्रशासन की लापरवाही के वजह से हर वर्ष बड़ी

संख्या में सीटे खाली रह जाती है। निजी स्कूलों की समस्याओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। निजी स्कूलों के भी अपने व्यय है। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें लम्बा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देना प्रदेश के निजी स्कूलों की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 नवम्बर 2023 के अनुपूरक बजट में इस मद में 268 करोड़ रु० की व्यवस्था कर दी है जिसके कारण गरीब बच्चों को प्रवेश देने में निजी विद्यालयों को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूलभूत अधिकार है और इसमें आने वाली सभी बाधाओं को संकल्पबद्ध होकर दूर किया जाना चाहिए। इस अनुपूरक बजट में इसे प्राथमिकता देकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

●अध्ययन में उल्लेखित **उद्देश्य क्रमांक तीन** जो की प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न मदों पर हो रहे व्यय के विश्लेषण से संबंधित है, उसके आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 में सामान्य शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत अधिकतम रहा एवं वर्ष 2012—13 एवं 2015—16 में न्यूनतम रहा और 2015—16 के बाद के वर्षों से यह सतत रूप से 95 प्रतिशत से ऊपर रहा।

वर्ष 2016—17 तक निदेशन एवं प्रशासन पर व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है एवं इसी वर्ष के पश्चात इसके प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पर अधिक ध्यान देने की दिशा में बढ़ रही है।

वर्ष 2019—20 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी की प्रवृत्ति द्रष्टव्य है जो इस पर व्यय के प्रति सरकार की उदासीनता यह दर्शाता है, जबकि सरकार के लिए इसके व्यय में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग सरकारी विद्यालयों पर ही आश्रित होता है। समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा के दायरे में लाकर ही शत प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय में वृद्धि की दिशा में सरकार को पहल करने की आवश्यकता है।

अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय के प्रतिशत में वर्ष 2012–13 तक वृद्धि एवं इसके पश्चात वर्ष 2016–17 तक कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है एवं पुनः वर्ष 2017–18 से इसके व्यय के प्रतिशत में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा के प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षा संबंधी समाज की आवश्यकता का पोषण इन्हीं विद्यालयों के माध्यम से होता है। इन विद्यालयों के गुणवत्ता में वृद्धि कर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के शिक्षा संबंधी प्रयासों को नई उड़ान दे सकते हैं।

वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक लगातार 5 वर्षों तक सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है एवं इसके पश्चात वर्ष 2018–19 से इसके व्यय के प्रतिशत में निरंतर कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है जबकि प्रदेश सरकार के लिए इसके व्यय में स्थिरता या बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत उन जगहों पर नए विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाता है जहां विद्यालयी शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पीने का पानी, रख रखाव, अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूद विद्यालयों की आधारभूत ढांचे में विकास करना सम्मिलित है।

मध्याह्न भोजन पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कमी के साथ तीन वर्षों तक स्थिर रहा एवं पुनः वर्ष 2017–18 से इसके प्रतिशत में कमी के साथ यथास्थिति स्थिरता की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है जबकि इसके व्यय में भी बढ़ोतरी प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है कि वर्ष 2030 तक प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक करना है जिसमें इसके मद में वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

- इसी प्रकार **उद्देश्य क्रमांक चार** में कुल शैक्षिक बजट में से माध्यमिक शिक्षा पर किए गए व्यय के विश्लेषण से संबंधित है जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं—

वर्ष 2014–15 को छोड़कर वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है अतः कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा पर व्यय में वृद्धि को कुल शैक्षिक बजटीय परिप्रेक्ष्य में जब देखने का प्रयास करते हैं तो परिणाम इससे भिन्न दिखाई देता है। वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है परंतु वर्ष 2017–18 के बाद से माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिशत में वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

वर्ष 2014–15 को छोड़ दिया जाय तो प्रत्येक वर्ष माध्यमिक शिक्षा सार्वजनिक व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

वर्ष 2013–14 को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 तक माध्यमिक शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है परंतु वर्ष 2018–19 से इसके व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है कि वर्ष 2030 तक माध्यमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत तक करना है जो प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा के संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक व्यय का प्रतिशत 27 से ऊपर था एवं वर्ष 2017–18 में यह प्रतिशत न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका था। परिणाम के रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का जीईआर 53.8 प्रतिशत है (2020–21, <http://pib-gov-in>) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है कि 2030 तक माध्यमिक शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसकी पूर्ति ड्रॉप आउट को कम करके ही की जा सकती है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:14)। अतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक व्यय में और वृद्धि करने की आवश्यकता है।

जार्ज के0के0 एवं अन्य (2003) ने फाइनेंसिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन इन केरला नामक शोध पत्र में माध्यमिक शिक्षा के वित्तपोषण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। इस शोधपत्र में विशेष रूप से राज्य सरकार के सहायता अनुदान के संदर्भ में

माध्यमिक शिक्षा के वित्तपोषण के प्रवृत्तियों का जांच किया और निष्कर्ष रूप में बताया की आवश्यकता से कम वित्तपोषण के कारण माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है।

देवी, सैलबाला (2004) ने प्रतिवर्ष 1989-90 से 1999-2000 तक, 10 वर्षों की अवधि में सहायता अनुदान नीतियों और प्रथाओं के संबंध में उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा के वित्तपोषण का विश्लेषण किया। जिसमें राज्य में माध्यमिक शिक्षा के वित्तीय आकार, कुल शिक्षा पर व्यय का माध्यमिक शिक्षा पर व्यय का हिस्सा, माध्यमिक शिक्षा पर प्रति छात्र व्यय, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा पर व्यय, माध्यमिक शिक्षा पर बजटीय आवंटन एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान का अध्ययन किया और निष्कर्ष के रूप में बताया कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए शैक्षिक व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

● अध्ययन में उल्लेखित **उद्देश्य क्रमांक पाँच** जो की माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न मदों पर हो रहे व्यय के विश्लेषण से संबंधित है, इसके आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं –

वर्ष 2016-17 तक सामान्य शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है और वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक यह प्रवृत्ति स्थिर रही एवं वर्ष 2017-18 से तीन वर्षों तक सामान्य शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में वृद्धि के साथ यथास्थिति स्थिरता की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

वर्ष 2016-17 तक निदेशन एवं प्रशासन पर व्यय के प्रतिशत में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है एवं वर्ष 2017-18 से इसके व्यय के प्रतिशत में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013-14 तक स्थिरता की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है और पुनः वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक लगभग इसके व्यय का प्रतिशत स्थिर रहा एवं इसके बाद के वर्षों से लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है जो कि प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है।

वर्ष 2011–12, 2014–15 एवं वर्ष 2017–18 को छोड़कर गैर-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार इसके व्यय में कटौती करके राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर अपना व्यय बढ़ा रही है।

वर्ष 2020–21 तक छात्रवृत्तियों के व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है जबकि प्रदेश सरकार को इसके व्यय के प्रतिशत में वृद्धि करने की आवश्यकता है। छात्रों की बड़ी संख्या के शिक्षा का दायित्व इन विद्यालयों पर निर्भर रहता है। सरकार इन विद्यालयों को वेतन अनुदान देती है। शेष के लिए ये प्रबंध समिति द्वारा ट्रस्ट पर निर्भर रहते हैं जिसके कारण ये विद्यालय भौतिक सुविधाओं की कमी का सामना करते हैं। इसका प्रभाव वहां के गुणवत्ता पर देखा जा सकता है। अतः इस व्यय में कमी की प्रवृत्ति का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा में गुणवत्ता के साथ समझौता। इससे अवसर की असमानता की समस्या भी उत्पन्न होती है।

- इसी प्रकार **उद्देश्य क्रमांक छः** जो कि कुल शैक्षिक बजट में उच्च शिक्षा पर किए गए व्यय के विश्लेषण से संबंधित है, के संदर्भ में एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं—

वर्ष 2014–15 को छोड़कर वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है अर्थात् वर्ष 2014–15 को अपवाद के रूप में मानते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष बजट में लगातार वृद्धि की जा रही है।

उच्च शिक्षा पर व्यय में वृद्धि को कुल शैक्षिक बजटीय परिप्रेक्ष्य में जब देखने का प्रयास करते हैं तो परिणाम इससे भिन्न दिखाई देता है। वर्ष 2013–2014 को छोड़ दिया जाए तो वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक उच्च शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत की प्रवृत्ति लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है लेकिन वर्ष 2020–21 में उच्च शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में वृद्धि दिखाई दे रही है।

वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक व्यय, आठ प्रतिशत से ऊपर रहा वहीं यह प्रतिशत वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में गिर कर

4.50 प्रतिशत से भी कम हो गया जो कि 2010–11 का आधा है। यानि वर्ष 2010–11 से 2019–20 के नौ वर्षों के अंतराल में उच्च शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई। इस अवधि में दुगुने की कमी उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की उपेक्षात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा के व्यय के प्रतिशत में वृद्धि तथा उच्च शिक्षा के व्यय के प्रतिशत में कमी यह दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अपना दायित्व समझती है परंतु उच्च शिक्षा से धीरे-धीरे अपना हाथ समेटने के प्रयास में है। वर्ष 2020–21 में व्यय का प्रतिशत पुनः पांच प्रतिशत से अधिक होना प्रदेश में उच्च शिक्षा के भविष्य की दिशा में एक अच्छी पहल है।

परिणाम के रूप में कहा जा सकता है कि वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा में जीईआर 21.6 प्रतिशत एवं व्यय 8.43 प्रतिशत था और यह जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) वर्ष 2019–20 में बढ़कर 25.3% हो गया एवं व्यय घटकर 4.23 प्रतिशत हो गया, जबकि उच्च शिक्षा का शैक्षिक व्यय बढ़ना चाहिए था लेकिन व्यय घटता गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस जीईआर को 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार को उच्च शिक्षा के व्यय में वृद्धि की आवश्यकता है।

प्रकाश (2007) में ट्रेण्ड्स इन ग्रोथ एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया के अंतर्गत भारत में उच्च शिक्षा में वित्तीयन एवं वृद्धि के प्रवृत्ति का अध्ययन किया और पाया कि भारतीय उच्च शिक्षा वर्तमान में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। इन्होंने 7 राज्यों में व्यय के प्रवृत्ति का अध्ययन करके बताया कि कम विकसित राज्यों के शैक्षिक व्यय में सुधार हुआ है।

तिलक-वर्गीस (1991) ने भारत में उच्च शिक्षा का वित्तपोषण नामक शोध पत्र में बताया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए सरकार को उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाना होगा, धन के एक ही निधिकरण (funding) पर निर्भर रहने के बजाय निधिकरण का एक बहुविध गॉडल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

चक्रवती एवं जोगलेकर (2006) ने डिटरमाइंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन नामक शीर्षक के शोध पत्र 15 प्रमुख राज्यों का उच्च शिक्षा के लिए सरकारी धन

आवंटन में पैटर्न एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया और बताया कि आर्थिक सुधार प्रक्रिया पर नियंत्रण के बाद भी निजीकरण के कारण उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत के लक्ष्य को अगर उच्च शिक्षा में प्राप्त करना है तो उच्च शिक्षा में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति को बदलना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात में बड़ा योगदान हो सकता है। अतः उच्च शिक्षा पर आगे सरकारी व्यय को बढ़ाने की दिशा में गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

● अध्ययन में उल्लेखित **उद्देश्य क्रमांक सात** जो की उच्च शिक्षा के विभिन्न मदों पर हो रहे व्यय के विश्लेषण से संबंधित है, उसके विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

वर्ष 2010–11 में कुल उच्च शिक्षा का 95.76 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर व्यय हो रहा था, जो वर्ष 2020–21 में गिरकर 85.49 प्रतिशत हो गया है। अर्थात् दस वर्षों में 10 प्रतिशत के लगभग गिरावट आई है।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 को छोड़कर, वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक निदेशन तथा प्रशासन पर व्यय के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस मद में व्यय के प्रतिशत में लगभग दुगुने के बराबर वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा के सतत विकास के कारण यह वृद्धि, स्वाभाविक भी है।

राजकीय महाविद्यालय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित, नियंत्रित तथा संचालित महाविद्यालय होते हैं। समाज के वंचित वर्ग तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में इन महाविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मद में व्यय का बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। विगत 10 वर्षों में शिक्षकों के वेतन में वृद्धि तथा नए विश्वविद्यालय खुलने के कारण यह वृद्धि स्वाभाविक है। परंतु गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाने हेतु इस व्यय की भूमिका को देखते हुए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2010–11 में विश्वविद्यालय के सहायता पर व्यय का प्रतिशत 6.61 या एक दो वर्षों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, तो वर्ष 2019–20 तक इसमें लगातार

वृद्धि हुई है और यह बढ़कर वर्ष 2019–20 में 15.99 प्रतिशत तक पहुंच गया था। वर्ष 2020–21 में इसमें बड़ी कटौती हुई है और यह घटकर 13.77 प्रतिशत तक आ गया। उच्च शिक्षा को दिशा व मार्गदर्शन विश्वविद्यालय से मिलती है। विश्वविद्यालय अपने परिक्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों के लिए प्रतिमान का कार्य करते हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बहुत हद तक विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य के साथ 6 विश्वविद्यालय भी गत 10 वर्षों में खुले हैं। अतः नये विश्वविद्यालयों के स्थापना के साथ ही साथ पुराने विश्वविद्यालय अपने कुशल संचालन हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होते हैं। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय वेतन भुगतान से लेकर अन्य कार्यों के संचालन की दृष्टि से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस मद में वृद्धि की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अपने स्रोतों की तलाश स्वयं करें तथा आर्थिक स्वायत्तता की ओर बढ़ें, ऐसी सरकार की मंशा रहती है। लेकिन प्रदेश के विश्वविद्यालय अभी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं अतः इनके वित्त पोषण हेतु व्यय में वृद्धि वांछनीय है।

उच्च शिक्षा के मांग की पूर्ति, राजकीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सीमित मात्रा में हो पाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या गैर राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होती है अतः उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के संचालन में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इस दृष्टि से इन पर व्यय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2010–11 में गैर राजकीय महाविद्यालय में व्यय का प्रतिशत 45.14 था जो बढ़कर वर्ष 2015–16 में 80.46 प्रतिशत हो गया। अर्थात् प्रारंभ के पाँच वर्षों में लगातार इस मद पर व्यय के प्रतिशत में वृद्धि होती रही और यह वृद्धि लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। अगले चार वर्षों में इसके व्यय में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन पुनः 2020–21 में गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि एक अच्छा संकेत है। उच्च शिक्षा के मात्रात्मक प्रसार के साथ गुणात्मक वृद्धि के दिशा में अग्रसर होने के लिए इस मद में व्यय पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

● इसी प्रकार **उद्देश्य क्रमांक आठ** जो की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर किए गए व्यय के तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है, के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से द्रष्टव्य है –

वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत न्यूनतम स्तर पर था एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत उच्चतम स्तर पर था। इससे ऐसा प्रतीत होता है की प्रदेश सरकार शिक्षा के तीनों स्तरों के व्यय में असमानता को संतुलित करने का प्रयास किया है। वहीं पर वर्ष 2017–18 में प्राथमिक शिक्षा के व्यय का प्रतिशत उच्चतम स्तर पर पहुँचाया एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत न्यूनतम स्तर पर आ गया जो शिक्षा के तीनों स्तरों के बीच में बढ़ते व्यय के असमानता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2018–19 से प्राथमिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत घट रहा है एवं माध्यमिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ़ रहा है जबकि उच्च शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत उतार-चढ़ाव के साथ बढ़ रहा है।

वर्ष 2020–21 में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में दो प्रतिशत कमी के साथ माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत में वृद्धि हुई है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा की तीनों स्तरों के व्यय के प्रतिशत में संतुलन बनाना चाह रही है।

एलन रॉय एवं अन्य (2000) ने वर्ष 1992–93 से 1997–98 की अवधि के दौरान 15 बड़े भारतीय राज्यों के लिए एकत्रित आंकड़ों का उपयोग करते हुए बड़े भारतीय राज्यों के शैक्षिक व्यय का विश्लेषण किया। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर व्यय का अध्ययन करके बताया कि कम आय वाले राज्यों में, शैक्षिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय, उनकी आवश्यकताओं से कम रहा।

एलेक्स एवं अंजना (2005) ने अपने शोधपत्र पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल एजुकेशन इन केरला : ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में केरल में प्रति वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक की अवधि में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर हुए कुल व्यय का विश्लेषण किया और बताया की केरल सरकार पिछले 5 वर्षों में शिक्षा पर अपना व्यय बढ़ा रही है।

इन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय में लगातार वृद्धि किया है। परंतु यह वृद्धि माध्यमिक और उच्च शिक्षा की कीमत पर किया गया है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर की व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी-अपनी भूमिका होती है। अतः एक की कीमत पर दूसरे के विकास से संतुलित विकास का लक्ष्य पराजित होता है। यह सच है कि प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की बुनियाद है तथा उसका सामाजिक प्रतिफल भी अधिक है। परंतु कौशल के विकास एवं शोध तथा नवाचार को बढ़ावा देने में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः संतुलित विकास हेतु माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यय के प्रति सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 2017-18 के बाद के व्यय के रुझान यह दर्शाते हैं कि सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया है आने वाले वर्षों में इसमें संतुलन बनाते हुए शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

किसी भी शोध का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान परिवेश में उसकी उपादेयता क्या है प्रस्तुत शोध शिक्षा के विविध पक्षों के नियोजन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्तमान शोध निम्नांकित दृष्टियों से शिक्षा के लिए शोध अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

- यह अध्ययन शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हुए व्यय के अन्तर को भरने में सहायक होगा।
- शिक्षा पर व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी वर्षों में शिक्षा पर व्यय के संदर्भ में उपयोगी होगा।
- शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को शैक्षिक व्यय की वृद्धि में सहायक होगा।
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के संतुलित विकास में सरकार के लिए सहायक होगा।

- यह अध्ययन उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने में सहायक होगा। यह अध्ययन शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यय की विसंगतियों के समाधान में सहायक होगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे व्यय के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के पुनर्निर्माण में सहायक होगा।
- भविष्य में शिक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर व्यय के वितरण के योजना में सहायक होगा।

अध्ययन हेतु सुझाव

- भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।
- भारत में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यय का तुलनात्मक अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का समावेशी विकास पर प्रभाव का अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश तथा केरल में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश तथा भारत में शिक्षा पर व्यय का तुलनात्मक अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय तथा अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का शिक्षा पर व्यय तथा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का शिक्षा पर व्यय तथा उसकी गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का तुलनात्मक अध्ययन।